सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/ATY-1925/DL/8/2024-APCR-RU-IV

दिनांक: 17.07.2025

सेवा में,

पुलिस आयुक्त,
दिल्ली पुलिस,
पुलिस आयुक्त कार्यालय, दिल्ली
पुलिस मुख्यालय,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली, 110001
Email Id: cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in

विषय: पड़ोसी द्वारा जातिसूचक गाली गलौज करना, पानी गिराना, धमकाना, उन्हें वहां से भगा देने की धमकी देना तथा विभिन्न अन्य प्रकार से प्रताड़ना के संदर्भ में सुश्री रामकली, 8/14, अस्पताल सड़क, बीरबल पार्क के नजदीक, जंगपुरा विस्तार, नई दिल्ली की दिनांक 04.09.2024 की शिकायत।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

Encl: as above

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

सुश्री रामकली,
8/14, अस्पताल सड़क,
बीरबल पार्क के नजदीक,
जंगपुरा विस्तार, नई दिल्ली- 110014

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/ATY-1925/DL/8/2024-APCR

श्रीमती रामकली, 8/14 हॉस्पिटल रोड, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली के पड़ोसी द्वारा जाति सूचक गाली गलौज करना, पानी गिराना, धमकाना, उन्हें वहां से भगा देने की धमकी देना तथा विभिन्न अन्य प्रकार के प्रताड़ना के संदर्भ में दिनांक 30.06.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक	:	30.06.2025
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-I के अनुसार।

आयोग को 04.09.2024 को श्रीमती रामकली द्वारा प्राप्त एक शिकायत पत्र में बताया गया कि वे 8/14 अस्पताल सड़क, बीरबल पार्क के नजदीक, जंगपुरा विस्तार, नई दिल्ली की निवासी हैं।उनके पड़ोसी द्वारा उन्हें जातिसूचक गालियाँ दी जाती हैं, उनके घर के बाहर टैंकर का पानी बहा दिया जाता है, उन्हें वहां से भाग जाने की धमकी दी जाती है, और यह कहकर कि उनके पास पुलिस में संपर्क है, उन्हें झूठे मामलों में फंसा देने की धमकी दी जाती है। इस बाबत जब उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत की, तो वहां से उन्हें घर गिराने की धमकी देकर भगा दिया गया और उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब वे आयोग से न्याय की मांग कर रही हैं।

2. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगने हेतु नोटिस दिनांक 08.10.2024 को भेजा गया था।

दिनांक 05.12.2025 को दक्षिण-पूर्व जिला, नई दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (DCP) द्वारा उत्तर प्राप्त हुआ था ।

3. इस मामले में पूर्व में दो बार सुनवाई की जा चुकी है दिनांक 30.06.2025 पुन तीसरी बार सुनवाई की गयी जिसमे प्रार्थिनी व् अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त उपस्थित रहे ।

आशा लकड़ा

4. आयोग द्वारा इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त को दिनांक 19.08.2024 को नोटिस भेजा गया था रिपोर्ट प्राप्त नही होने पर इस मामले में आयोग द्वारा 28.03.2025 को सुनवाई की गयी थी जिसका कार्यवृत सम्बन्धित पदाधिकारियों को भेज दिया गया था कार्यवृत के प्रत्युतर में पुलिस की ओर से अपेक्षित जंवाब प्राप्त नही हुआ अत आयोग द्वारा पुन मामले में दिनांक 30.06.2025 को सुनवाई हेतु दिल्ली पुलिस आयुक्त को आयोग द्वारा समन जारी किया गया था उनके स्थान पर सम्बन्धित जिले के पुलिस उपायुक्त व् प्राथी उपस्थित रहे |

➢ **मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-**

1. पुलिस विभाग आवेदिका की निजता का हनन करने वाले केमरो को हटवाएंगे चाहे वो प्रार्थिनी के हो या अप्रार्थीगण के हो।
2. पुलिस द्वारा कथित स्थान के पास किसी सार्वजानिक जगा पर केमरे लगवाए जायेंगे।
3. यह मामला जब तक उच्च न्यायालय में लंबित है तब तक इसमें आयोग द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही नही की जाएगी।

आशा लकड़ा
14/07/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-1925/DL/8/2024-APCR

Sitting to be held on **30.06.2025 at 03.00 P.M**- Representation from **Ms. Ramkali** regarding caste-based abusive language, water throwing, threats, intimidation, and various other forms of harassment by the neighbor.

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Research Officer		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Commissioner of Police, Delhi Police**		
1.	Addl. DCP Ishan Bhardwaj	Addl. DCP/ SED	[signature]
2.	Insp Jagdeep 8750870989	Add/SHO PS H.N.Din 8	[signature]
3.	SI Arun Kumar (9953586577)	I/c PP Jangpura PS H.N.Din	[signature]
4.	Ramkali 9650469693		
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.	Ramkali 9650469693		Ramkali
2.			